

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, उत्तराखण्ड के

बोर्डों , परिषदों , समितियों और अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों , परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी –

(A statement of the boards , councils , committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advise, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meeting are accessible for public)

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान के अंतर्गत कोई बोर्ड, परिषद, समितियाँ तथा अन्य निकाय वर्तमान में स्थापित नहीं हैं तथा विवरण निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत है :-

क्र० सं०	निकाय/समिति/बोर्ड का नाम	संरचना (अध्यक्ष व सदस्यों के पद)	मुख्य कार्य एवं उद्देश्य	बैठक की आवृत्ति (साल में कितनी बार)	क्या बैठक जनता के लिए खुली है (हाँ/नहीं)	क्या बैठक का कार्यवृत्त (Minutes) जनता के लिए उपलब्ध है (हाँ/नहीं)	कार्य वृत्त प्राप्त करने का स्थान/माध्यम
1	कार्यकारिणी समिति, राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखण्ड	1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड-सभापति। 2. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान,-उप सभापति। 3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग -सदस्य। 4. अपर सचिव, उद्यान/जड़ी-बूटी-सदस्य। 5. निदेशक, जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान-सदस्य। 6. वैज्ञानिक-प्रभारी, सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई-सदस्य। 7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड-सदस्य सचिव।	सामान्य क्रिया कलापों को संचालित करने के लिए कार्यकारिणी समिति में अधिकार निहित हैं।	02	नहीं	हाँ	मांगे जाने पर संस्थान मुख्यालय मण्डल-चमोली उत्तराखण्ड
2	अनुसंधान सलाहकार	अध्यक्ष सहित विभिन्न	औषधीय	02	नहीं	हाँ	मांगे जाने

	समिति, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान	विभाग / संस्थानों / विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों सहित कुल 14 सदस्य, जिसमें निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान सदस्य सचिव हैं	पादपों के अनुसंधान एवं विकास से सम्बन्धित कार्यो हेतु निर्णय लेने का अधिकार				पर संस्थान मुख्यालय मण्डल- चमोली उत्तराखण्ड
3	जडी-बूटी सलाहकार समिति उत्तराखण्ड	1. मा0 उद्यान मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार-अध्यक्ष, 2. सरकार नामित-03 उपाध्यक्ष, 3. अपर मुख्य सचिव / सचिव, उद्यान, वन, कृषि, आयुष, वित्त विभाग, नियोजन, ग्राम्य विकास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पाद बोर्ड उत्तराखण्ड, 4. प्रतिनिधि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड 5. निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, कृषि आयुष तथा 6. सरकार द्वारा नामित 04 सदस्य। उपरोक्त समिति सदस्य सचिव, निदेशक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान।	नीतिगत / प्रशासनिक मामलों में सलाह / निर्णय लेने के	—	नहीं	हाँ	मांगे जाने पर संस्थान मुख्यालय मण्डल- चमोली उत्तराखण्ड